

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 72 : ¹[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 72 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 72 : एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा

आवक प्रदायों के व्यौरों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।"